अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय /विशेष न्यायालय (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी किया–कलाप निवारण अधिनियम 1986), कक्ष सं0–4, अलीगढ़

गैंगेस्टर सत्र परीक्षण संख्या–1170/2008
राज्य बनाम प्रमोद

25–10–2024

पत्रावली पेश हुई।

अभियुक्त प्रमोद को प्रार्थना पत्र वास्ते वारण्ट रिकाल के अनुक्रम से न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्त की ओर से वारण्ट रिकाल प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि मामले में वह पूर्व से जमानत पर था। दिनांक 05–09–2024 को बीमार हो जाने तथा डेंगू हो जाने के कारण उपस्थित नहीं हो सका और उसके विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट निर्गत कर दिये गये। जिसके आधार पर वारण्ट निरस्त किये जाने का कथन किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के दिनांक 05–09–2024 को अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत किये गये थे। जिसके उपरान्त अभियुक्त के उपस्थित न आने पर उसके विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र व धारा–82 व 83 द0 प्र0 सं0 की आदेशिका निर्गत की गईं, जिन पर थाना द्वारा यह आख्या प्रस्तुत किये जाने पर कि अभियुक्त दिये गये पते पर निवास नहीं करता है तथा गॉव में अभियुक्त की कोई चल अचल सम्पत्ति नहीं है। जिसके आधार पर अभियुक्त को भगोड़ा घोषित करते हुए मामले को धारा–299 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत संचालित किया गया।

अभियुक्त की ओर से दौरान तर्क यह कथन किया गया है कि वह गॉव की रंजिश के कारण गॉव छोड़कर वर्तमान में जनपद एटा में निवास कर रहा है। अभियुक्त द्वारा शपथ पत्र में अपना पता जनपद एटा का उल्लिखित किया गया है। जिससे अभियुक्त आरोप पत्र में उल्लिखित पते पर निवास न करने के कारण उसके बावत थाना द्वारा उपरोक्त प्रकार से आख्या प्रस्तुत किया गया था।

अभियुक्त प्रमोद मामले में पूर्व से जमानत पर था। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधार पर्याप्त होने के आधार पर नियत तिथियों पर अनिवार्य रूप से उपस्थिति की शर्त पर तथा अन्य तिथियों पर स्वयं व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहने की अंडरटेकिंग दाखिल करने पर अभियुक्त प्रमोद को **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर उसके विरूद्ध जारी गैर जमानतीय वारण्ट निरस्त किया जाता है। साथ ही साथ अभियुक्त को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह अपने मूल पता परिवर्तित होने के संदर्भ से एक सप्ताह के अंदर एक–एक लाख की दो नवीन प्रतिभूति प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। तदनुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

चूॅकि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आ गया है। ऐसी दशा में उसके विरूद्ध धारा–299 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 16–10–2024 निरस्त किया जाता है।

अतः पत्रावली वास्ते अभियोजन दिनांक 15–11–2024 को पेश हो।

अभियोजन साक्षीगण जरिये गैर जमानतीय अधिपत्र तलब हों।

(संजय कुमार यादव–प्रथम)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (गैगस्टर एक्ट),
कक्ष संख्या–04, अलीगढ

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2024.10.25 17:49:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court